संख्या-79/2016/1119/41-2016-244 सा0/2013

प्रेषक,

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग   लखनऊ,दिनांक 28 जून,2016

विषयः- प्रदेश में वायु सेवा संचालित करने हेतु प्राख्यापित वायु सेवा नीति में संशोधन।

महोदय,

उ0प्र0 राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा प्रदेश के सुदूर स्थानों तक सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्ट्रास्टेट वायु सेवा के संचालन हेतु माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में वायु सेवा संचालन प्रारम्भ किये जाने के बिन्दु पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए इससे सम्बन्धित समस्त कार्यो के लिए उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को नोडल विभाग बनाया गया है।

2. प्रदेश में वायु सेवा संचालन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1301/41-2014-244सा0/13 दिनांक-16.06.2014 द्वारा वायु सेवा नीति प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत प्रदेश में वायु सेवा संचालन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-75/3055/41-2014-244 सा0/13 दिनांक-13.12.2014 द्वारा प्रख्यापित वायु सेवा नीति के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर 1 व 2 में निम्नलिखित संशोधन किये गये

(1) अण्डरराईट सीटों की संख्या अधिकतम 30 प्रतिशत अथवा 06 सीटें (जो भी कम हों) को बढ़ाकर अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा 09 सीटें (जो भी कम हों) की गई।

(2) प्रति सीट प्रति कि0मी0 रू0 15/- की दर से बढ़ाकर प्रति सीट प्रति कि0मी0 रू0 20/-की दर निर्धारित की गई।

4. प्राख्यापित नीति में उक्तानुसार संशोधन किये जाने के बावजूद सेवाप्रदाताओं द्वारा इन्ट्रास्टेट वायु सेवा संचालित किये जाने के सम्बन्ध में सकारात्मक